dk;kZy; ftyk ty ,oa LoPNrk lfefr lg] dk;Zikyu vfHk;ark] ykd LokLF; ;kaf=dh [k.M]
fcykliqj ¼N-x-½

सूचना क्र.   /टीएससी/जि.ज.स्व.स./   बिलासपुर दिनांक

:fp dh vfHkO;fDr

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बिलासपुर जिले में प्रचार–प्रसार, कार्य एवं जनजागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के सहयोग की आवश्यकता है। कार्य एवं पात्रता संबंधी विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का विवरण	बी.पी.एल. परिवारों में शौचालय हेतु सृजन शौचालय उपयोग हेतु लोगों को प्रेरित करना स्वच्छता के क्षेत्र में लोगों में अच्छी आदतें विकसित करना एवं व्यवहार परिवर्तन के लिये जागरूक बनाना, स्कूल एवं आंगनबाड़ी स्वच्छता हेतु विशेष प्रयास, ग्राम में सम्पूर्ण स्वच्छता दृष्टि से ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यो की योजना बनाकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से संपादित कराना, अन्य स्वच्छता संबंधी हार्डवेयर कार्यो को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से पूर्ण करवाना, अभियान से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स की क्षमता वृद्धि संबंधी कार्य एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में सौपी गई अन्य गतिविधियां।
कार्य क्षेत्र	बिलासपुर जिले के 09 विकासखण्डो की चिन्हित पंचायतें। प्राथमिकता के आधार पर 03 विकासखण्डों का नाम आवेदन पत्र में अंकित करें। प्रत्येक विकासखण्डों में 25–25 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर रहेगा।
अनुबंध अवधि	06 माह, कार्यादेश जारी करने की तिथि से प्रभावशाली।
आवेदन करने की अंतिम तिथि/ समय एवं माध्यम	04 फपवरी 2011 को दोपहर 12.00 बजे तक (डाक अथवा वि ोश वाहक द्वारा) अंतिम तिथि एवं समय के प चात प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जावेगा एवं इस हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर उत्तरदायी नही होगी।
पात्रता एवं शर्ते	1. संस्था का रजिस्ट्रेशन कम से कम 05 वर्श पूर्व का होना चाहिए। 2. अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य का कम से कम 02 वर्श का अनुभव रखने वाले एनजीओ को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। 3. संस्था का पंजीयन फर्म एवं सोसायटी के माध्यम से किया हुआ होना अनिवार्य है। 4. संस्था को बैंक गारंटी अथवा कोई भी 02 भूमि स्वामियों का 05 लाख रूपये तक की गारंटी देना होगा। 5. पिछले 03 वर्श की AUDIT REPORT चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए 6. संस्था के पास कम से कम 05 वि ोशज्ञ व्यक्ति होने चाहिए जो इस क्षेत्र का अनुभव रखते हो। संस्था द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यो का अनुभव सहित जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जावेगी। 7. संस्था के पास अनुभव प्रमाण पत्र किसी भाासकीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। 8. संस्था किसी प्रदे ा में काली सूची में नही है इसका भापथ प्रत्र देना होगा। 9. चयन होने के उपरान्त **CLUSTERWISE** ग्राम पंचायत आबंटित करने का अधिकारी जिला जल एवं स्वच्छता समिति को होगा। 10. जिला जल एवं स्वच्छता समिति को यह अधिकार होगा कि वह एक या सभी आवेदन पत्रो को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है। इस संबंध में आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का दावा मान्य नही होगा एवं न ही समिति किसी वित्तीय हानि के लिये उत्तरदाई होगी। निर्धारित शर्ते पूर्ण करने वाले एन.जी.ओ. निर्धारित प्रारूप में केन्द्र/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, पात्रता की शर्ते, कार्य का स्वरूप आदि का पूर्ण विवरण वेबसाईट **WWW.bilaspur.gov.in** पर देखा जा सकता है एवं कार्यालयीन अवधि में इस कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाश क्र. 07752251736 एवं 07752238589 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है। कार्यापालन अभियंता एवं सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिलासपुर (छ.ग.)

D/Karwahivivran

dk;kZy; ftyk ty ,o LoPNrk lfefr lg] dk;ikyu vfHk;rk] ykd LokLF; ;kf=dh [k.M]
fcykl iqj ¼N-x-½

सूचना क्र.   /टीएससी/जि.ज.स्व.स./   बिलासपुर दिनांक

:fp dh vfHkO;fDr

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बिलासपुर जिले के अंतर्गत बिल्हा, मस्तुरी, पथरिया, लोरमी, मुगेंली, कोटा, तखतपुर, मरवाही, पेण्ड्रारोड(गौरेला) विकासखंड की पुचायतो में घरेलू भौचालयो की मांग,निर्माण उनका उपयोग, स्कूल एवं आगवबाडी स्वच्छता, ठोस एवं अपि ाश्ट प्रबंधन, व्यक्तिगत स्वच्छता के काय्रो के संबंध में जनजागरुकता एवं जनजागरण अभियान चलाने के उद्दे य की पूर्ति हेतु गैर सरकारी संगठनो (एन.जी.ओ.) के सहयोग की आव यकता है।

निर्धारित भार्ते पूरी करने वाले संगठन निधारित प्रारुप में आव यक प्रमाणित अभिलेखो के साथ आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र दिनांक 04 फरवरी 2011 को दोपहर 12.00 बजे तक वि ोश वाहक अथवा डाक के माध्यम से स्वीकार किये जावेगे, बिलम्व से प्राप्त आवेअनो पर वियार नही किया जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्र 04 फरवरी 2011 को सायं 03.00 बजे कार्यालय जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर में खोले जावेगे एवं छानबीन उपरांत उसी दिवस 05.00 बजे पात्र आवेदनकर्ताओ की सूची चस्पा कर दी जावेगी, पात्र आवेदनकर्ताओं को दिनांक 06 फरवरी 2011 को मंथन सभाकक्ष कनेक्टोरेट परिसर बिलासपुर में साक्षात्कार एवं पावर पाईंट प्रस्तुतीकरण हेतु आंमि?त किया जावेगा तथा इसी आधार पर ही चयन समिति द्वारा अंतिम चयन किया जावेगा।

vU; “krZ ¼&

1. चयन होने के उपरान्त संस्था को अपना कार्यालय जिला/विकासखंड स्तर पर रखना होगा।
2. एक संस्था को 25 ग्राम पंचायत आबंटित की जावेगी।
3. संस्था के द्वारा आवेदन में असत्य या त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पर चयन, प्रक्रिया के पूर्व आवेदन या चयन होने के पश्चात् उसे निरस्त करने का अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिलासपुर को होगा।
4. विज्ञापन की पात्रता की भार्तो के अनुरुप छानबीन समिति द्वारा आवेदन पत्रो की पात्रता निर्घारित की जावेगी एवं पात्र आवेदन पत्र ही साक्षात्कार तथा पावर पाईंट प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किये जावेगे।
5. साक्षात्कार तथा पावर पाईंट प्रस्तुतीकरण के आघार पर ही चयन समिति एन.जी.ओ. का चयन करेंगी, इसमें किसी भी प्रकार का वाद मान्य नही किया जावेगा।
6. जिला स्तर पर चयनित एन.जी.ओ. के पैनल तैयार कर कार्य का संपादन किया जावेगा।
7. चयनित एन.जी.ओ. जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर द्वारा तैयार प्रचार प्रसार ,प्रि ाक्षण गतिविघियो एवं निर्घारित दरों पर कार्यो का सम्पादन करेंगें। यदि एन. जी.ओ द्वारा अन्य कोई Innovative गतिविघी बताई जाती है तो उसे भी IEC गतिविघयों में भाामिल करनें पर विचार किया जा सकता है।
8. चयनित एन.जी.ओ. को जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर से रु.100.00(रुपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर में अनुबंघ करना होगा जो कि कार्यादे ा का भाग होगा।
9. अच्छे कार्य सम्पादन करनें वाले एन.जी.ओ.के अनुबंघ को बढाने एवं नवीनीकरण का पूर्ण अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर को होगा।
10. चयन के किसी भी स्तर पर पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करनें का अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर को होगा।
11. जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर को अनुबंघ अवघि के दौरान कार्य को धटाने अथवा बढाने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर के पास अनुबंघ की किसी भी कंडिका को ि ाथिल करने एवं अन्य कंडिका जोडने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. एन.जी.ओ. द्वारा संम्पादित कार्यो का सत्यापन उपरान्त ही भुगतान की पात्रता होगी सत्यापन जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर अपने डीपीसी, एपीसीए विकासखंड समन्वयक, क्लस्टर समन्वयक के माध्यम से सुनि ाचित करेंगी।
14. कार्य क्षेत्र आबंटन का अधिकार चयन समिति की अनु ांसा अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर को होगा।
15. चयन उपरान्त संस्था को 25% प्र ाासनिक भुल्क **STARTUP** हेतु प्रदान किया जावेगा।
16. 25 ग्राम पंचायत में कुल बीपीएल का 30% भौचालय निर्माण एवं एपीएल का 15% भौचालय निर्माण होने पर 20% रािा द्वितीय किस्त के रूप में प्रदान की जावेगी।
17. इसी प्रकार 60% बीपीएल एवं 40% एपीएल निर्माण पर 20% रािा तृतीय किस्त के रूप में प्रदान की जावेगी।
18. 85% बीपीएल एवं 75% एपीएल पर 20% रािा चतुर्थ किस्त के रूप में प्रदान की जावेगी।

19. 100% बीपीएल एवं 100%एपीएल पर 10% राि ा प्रदान की जावेगी।

20. इसी प्रकार निर्मल ग्राम पंचायत घोशित होने के उपरान्त अंतिम 05% की राि ा प्रदान की जावेगी।

कार्यापालन अभियंता एवं सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिलासपुर (छ.ग.)

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एन.जी.ओ. की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

संस्था के कार्यकारी प्रमुख का राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ

1. विज्ञापन क्रमांक एवं तिथि :
2. एन.जी.ओ. का नाम :
3. संस्था का स्थाई पता :
4. संस्था का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता : एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर
5. संस्था की पंजीकरण संख्या तिथि : एवं वैघता अवधि
6. अ – संस्था के कार्यकारी प्रमुख का नाम :
   ब – संस्था के कार्यकारी प्रमुख का स्थाईः पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर
   (यदि एक से अधिक कार्यकारी प्रमुख होने की स्थिति में सभी का विवरण उपरोक्तानुसार दिया जावे)
7. संस्था के पूर्णकालिक सदस्यो की संख्या :
8. संस्था का स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य : अनुभव
9. संस्था के पिछले तीन व र्ाो की आडिट : रिपोर्ट
10. संस्था के पिछले पॉच व र्ाो का वार्ि ाक : कार्य नि पादन
11. स्वच्छता के क्षेत्र में विशि ठ उपलब्घि : का संक्षिप्त विवरण
12. संस्था काली सूची में तो नही डाली गई : हॉ / नही
13. सेस्था के विरुद्व केन्द्र या किसी राज्य : हॉ / नही
    ाासन अधिन जांच तो लंबित नही है

सत्यापन एवं घो ाणा

संस्था के संबंध में उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी एवं तथ्य को छिपाया नही गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता संस्था की ओर से इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये पूर्णतः अधिकृत है चयन के किसी भी स्तर पर चयन पश्चात , अनुबंध होने के पश्चात यदि कोई जानकारी त्रुटि पूर्ण व असत्य पाई जाती है तो चयन एवं कार्यादेश निरस्त करने हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति बिलासपुर पूर्ण अधिकृत होगी एवं इसका समस्त उत्तरदायीत्व संस्था का होगा।

तिथि हस्ताक्षर

स्थान : नाम ....

कार्य का विवरण एवं स्वरूप :–

एन.जी.ओ. को आबंटित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य संपादित करने होगें :–

1. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना एवं खुले में भौच को रोकने हेतु व्यवहार परिवर्तन पर कार्य करना ।
2. प्रचार प्रसार की गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारो को भौचालय की मांग , भौचालय निर्माण एवं भौचालय उपयोग हेतु प्रेरित करना जिससे प्रदत्त लक्ष्य पूर्ण किया जा सकें।
3. प्रत्येक पंचायत में ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन कर सक्रीय बनाना ,।
4. प्रत्येक ग्राम पंचायत में चयनित पंचो की सहभागिता भी सुनिि चत करना ।
5. ग्रामीणो को कम लागत वाले स्वच्छ जलवाहित भौचालय की जानकारी देना।
6. महिला स्व सहायता समूहो को सक्रीय करते हुये इस अभियान में प्रत्येक स्तर से जोडने का कार्य करना ।
7. मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मैदानी विकासखंड स्तर एवं जिला स्तर के अधिकारी / कर्मचारी को अभियान के प्रगति हेतु क्षमता वृद्धि का कार्य करना ।
8. स्कूल स्वच्छता में वि ोश फोकस करना ताकि भाला मे अध्यन्नरत बच्चे में भौचालय के उपयोग , साफ सफाई , व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति अच्छी आदते विकसीत की जा सकें।
9. आगंनवाडी स्वच्छता में वि ोश फोकस करना ताकि आगंनवाडी मे अध्यन्नरत बच्चे में भौचालय के उपयोग , साफ सफाई , व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति अच्छी आदते विकसीत की जा सकें।
10. ठोस एवं द्रव अपि ाश्ट प्रबंधन की ग्रामवार योजना तैयार कराकर ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से आव यक कार्यवाही करना ।
11. घर घर संपर्क , व्यक्ति ाः संपर्क , चौपाल बैठके , सामुदायिक बैठके , आयोजित कर ग्राम के लोगो को अभियान से जोडने का कार्य करना ।
12. स्वच्छता के नारे एवं चित्रात्मक दिवाल लेखन का कार्य करना।
13. स्वच्छता अभियान के तहत स्वीकृत हार्डवेयर घटको को ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से संपादित करवाना इस हेतु ग्राम जल स्वच्छता समिति की क्षमता वृद्धि हेतु आव यक कार्यवाही करना।
14. प्रत्येक पंचायत में अभियान के प्रति रूचि लेने वाले अच्छे एवं क्षमतावान प्रेरक तैयार करना।
15. जिला जल स्वच्दता समिति बिलासपुर द्वारा समय समय पर स्वच्दता के क्षेत्र मे सौपें अन्य कार्य करना।

कार्यापालन अभियंता एवं सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिलासपुर (छ.ग.)